राज़स्थान सरकार

कार्मिक (क-2) विभाग

10 8 AUG 2022

सं. एफ. 3(9)डीओपी/ए-2/2013 जयपुर, दिनांक:

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, इसके साथ संलग्न अनुसूची में यथोल्लिखित विभिन्न सेवा नियमों को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विभिन्न सेवा (पंचम संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **संशोधन.-** इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ सं.2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियम के सामने स्तंभ सं.3 में यथोल्लिखित विद्यमान नियम के पश्चात् स्तंभ सं.4 में यथोल्लिखित निम्नलिखित नया नियम जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"**ऐसे मृतक व्यक्तियों के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति जिन्हें उत्तराखण्ड त्रासदी-2013 में मृत या लापता होने के पश्चात् मृत घोषित किया गया.-** (1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली वेतन मैट्रिक्स में के लेवल एल-9 तक के पद की रिक्तियां, ऐसे व्यक्ति, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी था और 2013 की उत्तराखण्ड त्रासदी में मर गया था या जिसे ऐसी त्रासदी में लापता होने के पश्चात् मृत घोषित किया

47/2022

गया था, के आश्रितों में से किसी एक को अनुकम्पात्मक आधार पर, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्त करके भर सकेगा:-

(i) आश्रित राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए; और

(ii) आश्रित इन नियमों के अधीन संबंधित पद के लिए विहित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं तथा अन्य शर्तें पूर्ण करता हो:

परन्तु चयन के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षा जैसे कि,-

(क) नियुक्ति के समय कम्प्यूटर अर्हता पर जोर नहीं दिया जायेगा। आश्रित को सुसंगत नियमों में यथा विहित कोई भी कम्प्यूटर अर्हता परिवीक्षा कालावधि के भीतर-भीतर प्राप्त करनी होगी जिसके ना होने पर, उसकी परिवीक्षा बढ़ायी गयी समझी जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी सेवा में उसके प्रदर्शन को पूर्ण रूप से असंतोषजनक पाते हुए उसकी सेवाओं को समाप्त नहीं कर दे;

(ख) नियुक्ति के समय प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कम्प्यूटर पर टंकण पर जोर नहीं दिया जायेगा। तथापि, आश्रितों से तीन वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर, जब तक स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु उस कालावधि को कार्मिक विभाग द्वारा शिथिल ना किया गया हो, ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा अथवा अंग्रेजी या हिन्दी में से किसी भी एक भाषा में कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षण उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा, जिसमें असफल रहने पर उसकी नियुक्ति समाप्त किये जाने के लिए दायी होगी। जब तक वह ऐसी अर्हता अर्जित नहीं कर लेता/लेती है, तब तक कोई भी वार्षिक ग्रेड वृद्धियां अनुज्ञात नहीं की जायेंगी। ऐसी अर्हता अर्जित

कर लेने पर नियुक्ति की तारीख से वार्षिक ग्रेड वृद्धियां काल्पनिक रूप से अनुमत की जायेंगी किन्तु कोई भी बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त विधवा को कम्प्यूटर अर्हता रखने और कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षण उत्तीर्ण करने से छूट दी जायेगी:

परन्तु यह भी कि इस नियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त बैंचमार्क नि:शक्तता वाले व्यक्ति को कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षण उत्तीर्ण करने से छूट दी जायेगी।

(2) ऐसे आश्रित को नियुक्ति नहीं दी जायेगी यदि ऐसे मृतक के या लापता होने के पश्चात् मृत घोषित व्यक्ति के आश्रितों में से कोई भी एक, मृतक की मृत्यु या ऐसे लापता व्यक्ति को मृत घोषित किये जाने के समय, केन्द्रीय/किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय/किसी राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से या भागत: स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन विधिक बोर्ड/संगठन/निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से ही नियुक्त है:

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वयं के लिए नियोजन चाहती है:

परन्तु यह और कि यदि किसी कुटुम्ब में ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो मृत हो गये हैं या लापता होने के पश्चात् मृत घोषित कर दिये गये हैं, एक से अधिक है तो, केवल एक आश्रित की अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्ति के लिए ही विचार किया जायेगा।

(3) ऐसा आश्रित नियुक्ति के लिए आवेदन संबंधित जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगा। जिला कलक्टर आवेदन को अपनी सिफारिशों सहित आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को सत्यापन हेतु अग्रेषित करेगा। ऐसे मृतक

की मृत्यु या ऐसे मृतक की मृत्यु की घोषणा के सत्यापन के पश्चात् ऐसे आश्रित का आवेदन, उपयुक्त नियुक्ति के लिए संबंधित जिला कलक्टर को अग्रेषित किया जायेगा। संबंधित जिले में रिक्ति की अनुपलब्धता की दशा में आवेदन संभागीय आयुक्त को भेजा जायेगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन किसी जिले में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा। यदि संभागीय आयुक्त की अधिकारिता के अधीन रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो नियुक्ति प्रदान करने हेतु आवेदन संभागीय आयुक्त द्वारा कार्मिक (क-2) विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए आश्रित से निम्नलिखित अभिप्रेत है,-

(i) पति/पत्नी; या

(ii) पुत्र जिसमें मृत या लापता होने के पश्चात् मृत घोषित व्यक्ति द्वारा उसके जीवन काल के दौरान वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र सम्मिलित है; या

(iii) अविवाहित/विधवा/विच्छिन्न विवाह पुत्री जिसमें मृत या लापता होने के पश्चात् मृत घोषित व्यक्ति द्वारा उसके जीवन काल के दौरान वैध रूप से दत्तक ग्रहण की गयी पुत्री सम्मिलित है; या

(iv) विवाहित पुत्री, यदि उपरोक्त खण्ड (ii) और (iii) में उल्लिखित अन्य कोई आश्रित उपलब्ध नहीं है; या

(v) मृत या लापता होने के पश्चात् मृत घोषित अविवाहित व्यक्ति के मामले में माता, पिता, अविवाहित भाई या अविवाहित बहन,

जो मृत या लापता होने के पश्चात् मृत घोषित व्यक्ति पर उसकी मृत्यु के समय पूर्ण रूप से आश्रित था।

(4) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति जो आपदा प्रबन्धन और सहायता विभाग द्वारा जारी किये गये सहायता पैकेज दिनांक 29.07.2013 के अनुसरण में नियुक्त किये गये हों, राजस्थान विभिन्न सेवा (पंचम संशोधन) नियम, 2022 के प्रारम्भ की तारीख से, यदि वे इस नियम के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र हैं, इस नियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त किये गये समझे जायेंगे।"

अनुसूची

क्र.सं.	सेवा नियमों का नाम	विद्यमान नियम का संख्यांक	नये नियम का संख्यांक
1	2		3
1.	राजस्थान विधिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1981	6क	6ख
2.	राजस्थान विधि रचना राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1981	6क	6ख
3.	राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992	6क	6ख
4.	राजस्थान सचिवालय पुस्तकालयाध्यक्ष राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1997	6क	6ख
5.	राजस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	6क	6ख
6.	राजस्थान एकीकृत बाल विकास राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	6क	6ख
7.	राजस्थान देवस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2000	6क	6ख
8.	राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2001	6क	6ख

राजस्थान शिक्षक संघ युवा, मनोज मीना

9.	राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2012	7	7क
10	राजस्थान पेट्रोलियम राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2012	7	7क
11.	राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय (राज्य और अधीनस्थ) सेवा नियम, 2013	7	7क
12.	राजस्थान आबकारी प्रयोगशाला (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2015	7	7क
13.	राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015	7	7क
14.	राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एवं अधीनस्थ) नियम, 2017	7	7क
15.	राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017	7	7क
16.	राजस्थान विश्राम भवन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2019	7	7क
17.	राजस्थान जैव-ईंधन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2019	7	7क
18.	राजस्थान विज्ञान एवं तकनीकी (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021	7	7क
19.	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021	7	7क
20.	राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा (श्रेणी-I) नियम, 1955	7ग	7घ
21.	राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा (श्रेणी-II) नियम, 1955	7च	7छ
22.	राजस्थान खान एवं भू-गर्भ अधीनस्थ सेवा नियम, 1960	7ख	7ग
23.	राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963	6ग	6घ
24.	राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	6ग	6घ
25.	राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	6ख	6ग

26.	राजस्थान उद्यान-कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1965	6क	6ख
27.	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965	6ग	6घ
28.	राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966	6ख	6ख
29.	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम, 1966	6ग	6घ
30.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1967	6घ	6ङ
31.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1967	6घ	6ङ
32.	राजस्थान पुरालेख अधीनस्थ सेवा नियम, 1968	6क	6ख
33.	राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1971	6घ	6ङ
34.	राजस्थान राजकीय मुद्रणालय अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	6क	6ख
35.	राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	6ख	6ग
36.	राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (भवन एवं पथ शाखा) सेवा नियम, 1973	6ख	6ग
37.	राजस्थान भू-जल अधीनस्थ सेवा नियम, 1973	6(ख)	6(ग)
38.	राजस्थान नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1974	6क	6ख
39.	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा नियम, 1974	6क	6ख
40.	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974	6क	6ख
41.	राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	6क	6ख
42.	राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1975	6क	6ख
43.	राजस्थान जनसंपर्क अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	6ख	6ग
44.	राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	6क	6ख
45.	राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा (निवारक शाखा) नियम, 1976	6क	6ख

46.	राजस्थान राज्य उपक्रम अधीनस्थ सेवा नियम, 1976	6क	6ख
47.	राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977	6क	6ख
48.	राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	6क	6ख
49.	राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	6क	6ख
50.	राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979	6क	6ख
51.	राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1979	6क	6ख
52.	राजस्थान पुलिस न्याय संबंधी विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम, 1980	6क	6ख
53.	राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989	6क	6ख
54.	राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	6क	6ख
55.	राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001	7क	7ख
56.	राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2013	7	7क
57.	राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम, 2015	7	7क
58.	राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015	7	7क
59.	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (विद्युत निरीक्षणालय शाखा) नियम, 2020	7	7क
60.	राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा नियम, 2021	7	7क
61.	राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1970	5क	5ख
62.	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999	6क	6ख
63.	राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999	6क	6ख

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

8/8/2022

(राम निवास मेहता)

संयुक्त शासन सचिव

47/2022